<u>न्यायालय–सिविल न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी–धन कुमार कुड़ोपा)

<u>व्यवहार वाद क0-38ए/2011</u> संस्थापित दिनांक-15.02.2008 <u>फाईलिंग नं. 233504000032008</u>

- रामरतिबाई बेवा छोटेलाल साहू, उम्र 35 वर्ष,
 पुरानी माईन्स दमुआ, तह० परासिया, जिला छिन्दवाड़ा, म०प्र०।
- 2. रिनाबाई जौजे हेमराज साहू पिता छोटेलाल, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी महावीर वार्ड मुलताई, तह० थाना मुलताई, जिला बैतूल,म०प्र०।
- 3. रिताबाई जौजे राजेश साहू पिता छोटेलाल साहू, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी टी०वी० स्टॉक सौरूम बगडोना, तहसील एवं जिला बैतूल,म०प्र०।
- पूजाबाई आत्मज छोटेलाल साहू, उम्र करीब 11 वर्ष, ना०बा० वली माता रामरतीबाई बेवा छोटेलाल साहू, निवासी पुरानी माईन्स, दमुआ माईन्स दमुआ, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा, म०प्र०।

----<u>वादीगण</u>

-:: विरूद्ध ::-

- 1— मिश्रीलाल पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (फौत),
- अ. श्यामवती पति मिश्रीलाल, जाति साह्, उम्र 46 साल,
- ब. दुर्गेश पिता मिश्रीलाल जाति साहू, उम्र 25 साल,
- स. कमलेश पिता मिश्रीलाल, जाति साहू, उम्र 21 साल,
- द. दुर्गा पिता मिश्रीलाल, जाति साहू, उम्र 23 साल, सभी:–निवासी काठी, तह0 आमला, जिला बैतूल।
- 2— बाजी पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 3— टिकाराम पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 39 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 4— कलाबाई जौजे दौलत साहू, पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 42 वर्ष, निवासी उमरानाला हिवरा, तह० एवं जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०।
- 5— मरनु जौजे गोदन साहू पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 41 वर्ष, निवासी उमरानाला नाका मोहल्ला, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा, म०प्र०।

- 6— छोटीबाई जौजे उदेराम साहू, पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी 5 नम्बर टंकी के पास सुभाष वार्ड, पाथाखेड़ा, तहसील एवं जिला बैतूल म0प्र0।
- 7— कचराबाई बेवा साहू, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी काठी, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 8— वसन्ता पिता ओझा साहू उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 9— अशोक पिता ओझा साहू, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी पुरानी माईन्स दमुआ, तह० परासिया, जिला छिन्दवाड़ा म०प्र०।
- 10— अनिल पिता ओझा साहू, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 11— हरि पिता कन्हैया साहू, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 12— म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल म0प्र0।

----प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा :: श्री परमारसिंह अधिवक्ता। प्रति0कं. 2 से 11 पूर्व से एकपक्षीय। प्रति0कं.1(फौत)के वारसान द्वारा :: श्री अनिल पाठक अधिवक्ता।

—:: निर्णय ::— (आज दिनांक 22/12/2016 को घोषित)

- 1— वादीगण ने यह दावा ग्राम काठी, तहसील आमला, स्थित भूमि खं.नं. 264 रकबा 0.025 हे. खं.नं. 291 रकबा 0.077 हे0, ख.नं. 473/1 रकबा 0.040 हे0 ख0नं. 489 रकबा 0.066 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.0138 हे0 विवादित भूमि का स्वत्व अधिकारी एवं विवादित भूमि का किया गया वसीयत दिनांक 30/12/95 को शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारी न होकर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है।
- 2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी एवं प्रतिवादी कुं 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में सगे रिश्तेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष कन्हैया, कन्हैया से उत्पन्न संतान ओझा, बाजी, छोटेलाल, मिश्रीलाल, टिकाराम, हरी एवं पुत्री कलाबाई, मरनु, छोटी है। ओझा की पत्नी

कचराबाई एवं उन दोनों से उत्पन्न संतान बंसता, अशोक, अनिल है। छोटेलाल की पत्नी मुन्नीबाई एवं रामरतीबाई है। छोटेलाल की पत्नी मुन्नीबाई से उत्पन्न संतान पुत्री रिना और रीता है। छोटेलाल की दुसरी पत्नी रामरतीबाई एवं उन दोनों से उत्पन्न संतान पुत्री पूजाबाई है। छोटेलाल की दो पत्नीयाँ प्रथम पत्नी मुन्नीबाई 22 वर्ष पहले मर चुकी है। उसके पश्चात् द्वितीय पत्नी रामरतीबाई से विवाह किया है जिसकी एक मात्र पुत्री पुजा है। तथा प्रथम पत्नी की दो पुत्री रिना तथा रिता है।

- 3— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह भी है कि वादी एवं प्रतिवादी सामिल सरीकत पैत्रक भूमि ग्राम काठी बिंग. 33 रा०निं०मं० बोरदेही प०ह०नं० 70 में स्थित भूमि खसरा नं. 291/1 रकबा 0.077, ख०नं० 264 रकबा 0.049, ख.नं. 487 रकबा 0.830, ख.नं. 489 रकबा 0.397 ख.नं. 473 रकबा 0.546 वादी एवं प्रतिवादीगण की सामिल सरीकत भूमि स्थित है। जिसे विवादित भूमि कहा जावेगा।
- 4— प्रकरण में प्रतिवादी कं. 2 के द्वारा वादीगण के वाद पत्र के समस्त अभिवचनों को स्वीकार किया गया है।
- 5— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम काठी में स्थित है जिसे प्रतिवादी कृं. 1 द्वारा साजीश पूर्ण एवं फर्जी वसीयतनामा वादीगण कृं. 2 से 4 के पिता एवं वादी कृं. 1 के पित की मृत्यु पश्चात् वसीयतनामा तैयार कर उसे रिजस्ट्रार के कार्यालय में दिनांक 30/12/1995 को तैयार किया गया है तथा दिनांक 10/03/1999 को दो गवाहों के समक्ष रिजस्टर्ड किया गया है। वसीयतनामा के आधार पर वादीगणों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 264 में से रकबा 0.025, खसरा नं. 291 में से 0.077, खसरा नं. 473 में से 0.040, खसरा नं. 489 में से 0.066, खसरा नं. 487 में से रकबा 0.138 उक्त भूमि को वादग्रस्त भूमियों के नाम से जाना जावे। वादीगण ने अपने वाद पत्र में बताया है कि स्वर्गीय छोटेलाल की मृत्यु होने के उपरान्त उक्त भूमियों में सामिल सरीकत वादग्रस्त भूमि में वादीगणों का राजस्व अभिलेख में फौती संशोधन किया जाकर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज चला आ रहा था। एवं वादग्रस्त भूमि की कास्त वादीगण स्वयं अथवा ठेका बटाई से करते चले आ रहे थे तथा आज भी वर्तमान में वादीगणों का स्वत्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है।
- 6— वादीगण ने अपने वाद पत्र में बताया है कि मृत प्रतिवादी कुं. 1 द्वारा उक्त वसीयतानामा के आधार पर तहसीलदार आमला के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर एवं राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर वादीगणों का राजस्व अभिलेख से नाम काटकर अपना नाम दर्ज करा लिया है, ऐसी जानकारी वादीगणों को प्राप्त होने पर यह दावा वादीगण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में बताया है कि वादी कुं. 2 से 4 तक के पिता एवं वादी कुं. 2 के पति

स्वर्गीय छोटेलाल दमुआ में नौकरी करते थे तथा दमुआ में ही वह उसके परिवार के साथ निवास करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु भी दमुआ में दिनांक 05/08/1998 को हुयी थी, जबिक मृत प्रतिवादी कं. 1 द्वारा झूठी एवं फर्जी वसीयत तैयार दिनांक 30/12/1995 को की है तथा स्वर्गीय छोटेलाल की मृत्यु दिनांक 05/08/1998 को होने के उपरांत दिनांक 10/03/1999 को दो गवाहों के समक्ष रिजस्ट्रार के कार्यालय में उक्त वसीयतनामा रिजस्टर्ड किया गया है। उक्त वसीयतनामा फर्जी एवं झूठा है तथा उक्त फर्जी एवं झूठा वसीयतनामा के आधार पर राजस्व अधिकारियों से सांठ—गांठ कर झूठे आधारों पर किया गया नामान्तरण एवं वसीयतनामा वादीगणों पर बन्धनकारी नहीं है उक्त वसीयतनामा एवं किया गया नामान्तरण शून्य घोषित किया जावे।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में बताया है कि छोटेलाल की मृत्यू दिनांक 05 / 08 / 1998 को होने के उपरान्त फौती संशोधन वर्ष 2003—2004 में राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया है जिसके आधार पर वादीगणों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ है तब से वादीगण विवादित भूमि पर कास्त एक मात्र करते चले आ रहे है। उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि के एक मात्र स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी है। मृत प्रतिवादी कृं. 1 द्वारा तहसीलदार के न्यायालय में वसीयतनामा के अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर लेने के उपरान्त भूमि को विक्रय करने के फिराक में है इसी तारतम्य में वादीगण के स्वामित्व की भूमि को विक्रय कर देता है तो वादीगणों के आधिपत्य में हस्तक्षेप होगा एवं उनकी वादग्रस्त भूमियों से बेदखल होना पडेगा, वादीगण यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतू प्रस्तुत किया गया है। वादीगणों को स्वर्गीय छोटेलाल की मृत्यु उपरान्त उत्तराधिकारी की हैसियत से विवादित भूमि पर स्वत्व आधिपत्य चला आ रहा है ऐसी स्थिति में स्वयं की आधिपत्य की पृष्टि हेत् यह वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण के स्वत्व की आधिपत्य की भूमि पर वादी कं. 2 से 4 के पिता एवं वादी कं. 1 के पित की मृत्यू उपरान्त राजस्व अभिलेख में फौती संशोधन किया जाकर राजस्व प्रपत्रों में नाम सामिल सरीखत दर्ज चला आ रहा था।

8— वादीगण ने अपने वाद पत्र में बताया है कि मृत प्रतिवादीगण कं. 1 द्वारा झूठा एवं फर्जी वसीयतनामा तैयार कर राजस्व अधिकारियों से सांठ—गांठ कर राजस्व प्रपत्रों में वादीगण का नाम काटा जाकर मृत प्रतिवादी कं. 1 द्वारा अपना नाम दर्ज करा लिया है तथा राजस्व प्रपत्रों में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमियों को विक्रय करना चाहता है। ऐसी स्थिति में मृत प्रतिवादी कं. 1 द्वारा किया गया फर्जी वसीयतनामा शून्य है तथा वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है। वादीगण जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में भूमि को विक्रय करने का सौदा चल रहा है ऐसी जानकारी होने के उपरांत वादीगण का यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी कुं 2 से 10 तक राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है और प्रतिवादी कुं 12 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा रिजस्टर्ड वसीयत दिनांक 10/03/99 को शून्य घोषित किए जाने एवं विवादित भूमि के आधिपत्य की पुष्टि एवं प्रतिवादी कुं 1 से 5 हजार रूपये मृत प्रतिवादी 1 से दिलाया जावे, का यह दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

9— प्रतिवादी कं 1 के द्वारा अपना जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर शेष अभिवचनों का स्वीकार कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि उपरौक्त वर्णित भूमि में 6 सगे भाईयों तथा 3 सगी बहने तथा कन्हैया की विधिवा पत्नी सोनीबाई सिहत कुल परिवार के 10 सदस्यों का सभी हिस्सा सामिल सरीकत भूमि में प्रत्येक सदस्य का 1/10 अंश निहित है। जिसे प्रत्येक सदस्य 1/10 अंश पाने की पात्रता रखते है। प्रतिवादी कं 1 मिश्रीलाल का सगा भाई छोटेलाल जो खदान में कार्य करने के कारण छोटेलाल का लीवर (कलेजा) खराब हो गया था उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसका इलाज दवाई, पालन पोषण देख—रेख मिश्रीलाल ने लगभग 3 वर्षो तक सेवा की जिससे खुश होकर उसकी खानदानी सम्पत्ति में से उसके हिस्से को जमीन में से छोटेलाल ने उसका हिस्सा 1/6 अंश का वसीयतनामा 30/12/95 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में कर दिया था जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार उप पंजीयक मुलताई के समक्ष 10/03/99 को किया गया, जिसके अनुसार मिश्रीलाल का नामान्तरण दर्ज होकर राजस्व अभिलेख में चला आ रहा है वसीयतनामा की छाया प्रति जवाबदावा के साथ प्रस्तुत है।

10— प्रतिवादी छं. 1 ने अपने विषेश कथन में व्यक्त किया है कि वाद—पत्र की कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित वंशावली के वंशवृक्ष के अनुसार तथा वाद पत्र की कंडिका क्रमांक 2 में वर्णित सम्पूर्ण खानदानी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगणों की खानदानी भूमि है। इस सम्पूर्ण भूमि में 6 सगे भाई एवं तीन बहने और एक विधवा माता सोनीबाई बेवा कन्हैया इस प्रकार परिवार के 10 सदस्यों का प्रत्येक का 1/10 अंश के अनुसार हक एवं आधिपत्य बनता है। हिन्दू विधि के अनुसार। मूल भूमि स्वामी कन्हैया की खानदानी भूमि में कन्हैया की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी के साथ सभी बच्चों का नाम शामील सरीखत भूमि में राजस्व अभिलेख में दर्ज चला आ रहा है। वर्तमान में परिवार की मुखिया होने के नाते कन्हैया की पत्नी सोनीबाई ही संपूर्ण खानदानी भूमि पर कास्त करवाती है अभी भाईयों एवं बहनों के बीच बटवांरा नहीं हुआ है। वादीगण द्वारा झूठा बनावटी वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है अतः यथा स्थिति का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। —वसीयतकर्ता छोटे वल्द कन्हई की प्रथम विवाहिता पत्नी मुन्नी की मृत्यु हो जाने के बाद दुसरी पत्नी (पाट विवाह) वाली रामरती द्वारा उसके पति

को छोड़कर चले जाने के बाद छोटेलाल तथा उसकी 2 पुत्रियाँ असहाय हो गये हैं, खदान में कार्य करने के कारण छोटेलाल के लीवर खराब हो गये थे जिसका ईलाज देख रेख एवं परविश मिश्रीलाल ने तीन वर्षो तक सेवा की थी जिससे खुश होकर छोटे ने मिश्रीलाल के पक्ष में दिनांक 30/12/95 को एक लिखित वसीयतनामा लिख दिया था जिसे दिनांक 10/03/99 को उक्त वसीयतनामा का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में पंजीयन किया गया। वसीयतनामा वैधानिक स्वरूप का है। इस वसीयतनामा के आधार पर वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार आमला द्वारा प्रतिवादी कंमांक 1 मिश्रीलाल का नामान्तरण राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया है तथा वसीयतनामा में वर्णित भूमि पर मिश्रीलाल का स्वत्व स्वामित्व एवं कब्जा चला आ रहा है। अतः सुविधा का संतुलन प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में चला आ रहा है मिश्रीलाल की मृत्यु के पश्चात् मिश्रीलाल के वारसानों का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य में चला आ रहा है। छोटेलाल की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पुत्री की पढ़ाई बाद विवाह भी प्रतिवादी कमांक 1 मिश्रीलाल ने किया है।

- 11— वादी के अधिवक्ता ने ही प्रतिवादी कं. 2 से 11 तक के लिए अधिवक्ता किशोरीलाल सोलंकी को नियुक्त किया गया है। वे आज तक न्यायायल में उपस्थित नहीं है उनके द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा भी फर्जी प्रतीत होता है वादी के अधिवक्ता की दुरिभ संधी सोलंकी अधिवक्ता से है। प्रतिवादीगणों को भी न्यायालय में उपस्थित रखा जावे तथा उनकी राय ली जावे की उनका वकील कौन है किसने नियुक्त किया है जिसके तरफ से जवाब पेश किया गया है।
- 12— वादीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसके समर्थन में वादीगणों का शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं है। सुविधा का संतुलन वादीगणों के पक्ष में नहीं है क्योंिक विवादित भूमि खानदानी भूमि है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की माता सोनीबाई कृषि कार्य करती चली आ रही है। वह काबिज कास्त है राजस्व रिकार्ड में भूमि शामील खाते में है तथा वर्तमान में मौके पर सभी भाई बहन अलग—अलग कास्त करते है। उक्त आधारों पर वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 13— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये है, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे है, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1— ''क्या वादीगण ग्राम काठी, तहसील आमला, स्थित भूमि खं. नं. 264 रकबा 0.025 हे. खं.नं. 291 रकबा 0.077 हे0, ख.नं. 473 / 1 रकबा 0.040 हे0 ख0नं. 489 रकबा 0.066 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.0138 हे0 विवादित भूमि के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है?

- 2—''क्या वादीगण की उक्त विवादित भूमियों के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 30 / 12 / 1995 शून्य होकर वादीगण के पक्ष में बंधनकारी नहीं है?
- 3—''क्या वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त विवादित भूमियों के संबंध में ततसंबंधी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?
- 4- सहायता एवं वाद व्यय?

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::— —::विचारणीय प्रश्न कं0—1, 2 का निराकरणः:—

- 14— वादीगण के विद्धवान अधिवक्ता की ओर से प्र0डी0 2,3,4,5 के दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित होने एवं साक्ष्य में ग्राहता के संबंध में आपितत ली गई थी कि उक्त दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दस्तावेज प्र0डी0 2 से लेकर प्र0डी0 5 तक के दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाता है क्योंकि उक्त दस्तावेज किसके द्वारा या किस प्रिन्टींग मशीन से निष्पादित कराई है उसे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त दस्तावेज को जिसने निष्पादित किया है वही उन्हें साबित कर सकता है।
- 15— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा—67 के अनुसार यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या अंशतः लिखी गयी अभिकथित है तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसी के हस्तलेख है। इस प्रकार उक्त अधिनियम अनुसार प्र0डी० 2 से प्र0डी० 5 तक के दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं कराया गया है। इस कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा रहा है।
- 16— वादी साक्षी रामरतीबाई (वा०सा०—1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम काठी में जो शामील सरकीत उसके हिस्से की भूमि को ठेके बटाई से कास्त करती चली आ रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है कि उसके ससुर नाम कन्हैया है उनकी 5—6 एकड़ जमीन थी जो ग्राम काठी में थी। इस प्रकार मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा

में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 कन्हैया की थी। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 कन्हैया की थी।

17— प्रतिवादी कुं 2 के द्वारा अपने जवाब की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि विवादित भूमि ग्राम काठी, तहसील आमला, स्थित भूमि ख.नं. 291/1 रकबा 0.077, ख.नं. 264 रकबा 0.049, ख.नं. 487 रकबा 0.830, ख.नं. 489 रकबा 0.397 ख.नं. 473 रकबा 0.546 है। साथ ही उक्त भूमि को प्रतिवादी 2 से 11 ने भी स्वीकार किया है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी कुं 1 से 11 के पूर्वज कन्हैया की है। अर्थात् खानदानी भूमि है।

18— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 19 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है उसके पित को ग्राम काठी में से जमीन एक एकड़ जमीन उसके भाई बटवांरे में मिली थी। इस प्रकार इस गवाह के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का बटवांरा हो चुका है और बटवांरे में वादी कं 1 एवं 2 से 4 के पिता को लगभग एक एकड़ भूमि प्राप्त हुई।

19— वादी साक्षी नानकराम (वा०सा०२) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में व्यक्त किया है कि छोटेलाल के पिता कन्हैया के पास करीब 4—5 एकड़ जमीन थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि छोटेलाल ने ग्राम काठी में कोई कृषि भूमि नहीं खरीदी थी। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि प्लॉट खरीदा था और चक्की खरीदी थी। अर्थात् छोटेलाल के द्वारा कुछ भूमि क्रय की गई थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में अस्वीकार किया है कि कन्हैया के लड़कों के बीच बटवांरा हो गया था और वे अलग—अलग कास्त करते थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि पहले इक्ट्ठे थे और बाद में बटवांरा हो गया था। अर्थात् वादी कं. 1 के पित एवं वादी कं 2 से 4 के पिता एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के बीच विभाजन हो चुका है।

20— वादी साक्षी श्रीमित रीता (वा०सा०3) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में व्यक्त किया है कि कन्हैया के जो बेटे उनके बीच में बटवांरा हो गया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि चार पांच साल पहले बटवांरा हुआ था। उसी प्रकार वादी साक्षी छोटेलाल (वा०सा०4) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि कन्हैया के लड़के उसकी खानदानी भूमि में अलग—अलग बटवांरा करके खेती कर रहे थे। इस प्रकार वादी साक्षियों के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि मूल पुरूष जो कन्हैया की भूमि थी उसका विभाजन हो चुका था और उसके पुत्रगण अलग—अलग खेती करते थे।

21— स्वयं प्रतिवादी कं 1 मिश्रीलाल के जवाब की कंडिका 3 से स्पष्ट है कि खानदानी सम्पत्ति में उसके हिस्से की जमीन में से छोटेलाल ने उसका हिस्सा 1/6 अंश का वसीयत 30/12/95 को प्रतिवादी कं 1 के पक्ष में कर दिया था। इस प्रकार प्रकरण में यह निर्वादित है कि वाद पत्र की कंडिका 2 में वर्णित भूमि खानदानी भूमि है।

वादीगण ने अपने समर्थन में प्र0पी0 1 का दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2005–06 प्रस्तुत किया है जिसमें ख.नं. 473 रकबा 0.546 कचरा बेवा ओझा अशोक, बंसत, अनिल, वल्द ओझा रामरति बेवा छोटेलाल, रिना, रिता पिता छोटेलाल, पूजा ना0बा0 पिता छोटलाल वली मॉ रामरति, बाजीलाल, मिश्रीलाल, टिकाराम हरि वल्द कन्हई, सोनी बेवा कन्हई, फकीर वल्द अर्जुन का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 2 का दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2005-06 प्रस्तृत किया है जिसमें खसरा नं. 264 रकबा 0.049 रामरित बेवा छोटे रिना, रिता पिता छोटे, पुजा ना.बा. पिता छोटेलाल वली मॉ रामरित का नाम भूमि स्वामी रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी. 3 किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2005-06 प्रस्तुत किया है जिसमें ख0नं. 487 रकबा 0.830 ख.नं. 489 रकबा 0.397 कूल 3.227 में कचरा बेवा ओझा, बसंत, अशोक अनिल वल्द ओझा रामरति बेवा छोटेलाल, रिना, रिता, पिता छोटेलाल, पूजा पिता छोटलाल ना०बा० छोटेलाल वली मॉ रामरति, बाजीलाल, मिश्रीलाल, टिकाराम, हरि व0 कन्हई सोनी बेवा कन्हई, कृष्णा, करनुबाई, छोटी पिता कन्हई का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 4 किश्तबंदी खतौनी खसरा नं. 291 / 1 रकबा 0.077 हे0 भूमि में कचरा बेवा हरि, चैत्या गुलाब, कुंवरलाल मुन्ना, बंशीलाल व हरि, कुंवरिया, चंद्रकला पिता हरि, घुडीया व0 चिन्धया, ओझा, बसंत, अशोक, मुन्नीलाल व0 ओझा, रामरति बेवा छोटेलाल, रिना रिता पिता छोटेलाल पूजा ना०बा० पिता छोटे वली मॉ रामरति, बाजीलाल, मिश्रीलाल, हरि व० कन्हैया सोनी बेवा कन्हैया, कला, मरन्, छोटी पिता कन्हैया का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

23— प्रर्दश पी 5 संशोधन पंजी वर्ष 2007—08 में ख.नं. 287 में से रकबा 0. 138 ख.नं. 489 में से 0.066 कुल रकबा 0.204 ख.नं. 473/1 में से रकबा 0.040 ख. नं. 264 में 0.025 भूमि स्वामी के रूप में मिश्रीलाल वल्द कन्हई का नाम उल्लेख है। प्रदर्श पी 6, प्रदर्श पी. 7 तहसीलदार आमला की आदेश पत्रिका है। प्रदर्श पी. 8 मिश्रीलाल के द्वारा धारा—109, 110 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन है। प्रदर्श पी. 9 मृत्यु प्रमाण पत्र है जिसमें छोटेलाल की मृत्यु दिनांक 05/08/1998 का उल्लेख है। प्रदर्श पी. 10 का दस्तावेज मिश्रीलाल का बयान है। प्रदर्श पी. 11 का दस्तावेज वसीयतनामा की सत्यप्रमाणित प्रतिलिपि है जिसमें वसीयतकर्ता छोटेलाल व0 कन्हई वसीयत ग्रहीता मिश्रीलाल व कन्हई के पक्ष में निष्पादित की गई है। प्रदर्श पी 12 का दस्तवेज कं 1 से 4 तक पेश की है जिसमें कं 1 वसीयतनामा में वसीयतकर्ता छोटे वल्द कन्हई वसीयत ग्रहीता मिश्रीलाल वल्द कन्हई के पक्ष में निष्पादित की

गई है मृत्यु प्रमाण पत्र छोटेलाल पिता कन्हई है। प्रदर्श पी 13 का दस्तावेज किस्तबंदी खतौनी ग्राम काठी वर्ष 2005—06 प्रस्तुत किया है जिसमें ख.नं. 264 रकबा 0.049 रामरती बेवा छोटे, रीना रिता, पिता छोटी पुत्री ना0बा0 पिता छोटे वली मॉ रामरती बाजी व0 कन्हई जिसका नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

प्रदर्श पी 14 का दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी ग्राम काठी वर्ष 24— 2005-06 का पेश किया है जिसमें खसरा नं. 487 रकबा 0.830, ख.नं. 489 रकबा 0.397 कुल 1.227 में कचरा बेवा ओझा, बसन्त, अशोक, अनिल व0 ओझा, रामरती बेवा छोटेलाल, रीना, रीता पिता छोटेलाल, ना०बा० पिता छोटेलाल वली मॉ रामरती, बाजीलाल, मिश्रीलाल, टीकाराम, हरि व0 कन्हई, सोनी बेवा कन्हई कला, मरनू, छोटी पिता कन्हई का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 15 का दस्तावेज किस्तबंदी खतौनी ग्राम काठी वर्ष 2005–06 प्रस्तुत की है जिसमें ख0नं. 473 रकबा 0.546 कचरा बेवा ओझा, बसंत, अशोक, अनिल व0 ओझा, रामरति बेवा छोटेलाल रिना, रिता पिता छोटेलाल, पूजा ना.बा. पिता छोटेलाल वली मॉ रामरित, बाजीलाल मिश्रीलाल, टीकाराम, हरि व कन्हई सोनी बेवा कन्हई तेली, फकीर व0 अर्जुन भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 16 का दस्तावेज किश्तबदी खंतीनी वर्ष 2007-08 ख.नं. 264 / 2 रकबा 0.025, ख.नं. 473 / 2 रकबा 0.040 ख.नं. 287 / 2 रकबा 0.938 ख0नं. 289/2 रकबा 0.066 कुल रकबा 0.269 मिश्रीलाल वल्द कन्हैया का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज नक्शा प्रस्तुत किया गया है। प्र0पी0 18 का दस्तावेज खसरा पांच साला वर्ष 2007–08 प्रस्तुत किया है जिसमें ख.नं0 264/2 रकबा 0.025, ख.नं. 473/2 रकबा 0.040 ख.नं. 287 / 2 रकबा 0.938 ख0नं. 289 / 2 रकबा 0.066 कुल रकबा 0.269 मिश्रीलाल वल्द कन्हैया का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्श पी 19 का दस्तावेज किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2007-08 प्रस्तुत की है जिसमें ख.नं. 291/1 रकबा 0.077 भूमि में बुन्दिया बेवा हरि, चैत्या, गुलाब, कुंवरलाल, मुन्ना, बंशीलाल वल्द हरि, कुंवरिया, चंद्रकला, रिना, हरि, घुड़िया व0 चिन्धिया, कचरया बेवा ओझा, बसंत, अशोक, अनिल व0 ओझा, रामरति बेवा छोटेलाल, रीना, रिता पिता छोटेलाल, पूजा ना०बा० पिता छोटेलाल वली मॉ रामरित, बाजी, मिश्रीलाल, टिकाराम, हरि व० कन्हई सोनी बेवा कन्हई, कला, मरनू, छोटी पिता कन्हई जिनका नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

25— प्रदर्श पी 20 नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमें उक्त खसरे का उल्लेख है। प्र0पी0 21 का दस्तावेज खसरा पांच साला 2006—07 प्रस्तुत किया है जिसमें ख.नं. 291/1 रकबा 0.077, बुन्दिया बेवा हिर, चैत्या, गुलाब, कुंवरलाल, मुन्ना, बंशीलाल व0 हिर, कुंवरिया, चंद्रकला पिता हिर, घुड़िया, बाजीलाल, मिश्रीलाल व0 कन्हई, टीकाराम, सोनी बेवा कन्हई, कचरा बेवा ओझा, बंसत, अशोक, अनिल व0

ओझा, रामरित बेवा छोटेलाल, रिना, रिता पिता छोटेलाल, पूजा ना०बा० पिता छोटेलाल वली मॉ रामरित के नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। प्रदर्शपी 22 का दस्तावेज जो कि किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2005—06 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 291 रकबा 0.077 बुन्दिया बेवा हिर, चैत्या, गुलाब, कुंवरलाल, मुन्ना, बंशीलाल व हिर, कुंवरिया, चंद्रकला पिता हिर, घुडिया व0 चिन्धिया, कचरा बेवा ओझा, बसंत, अशोक, अनिल व0 ओझा, रामरित बेवा छोटेलाल, रिना, रिता पिता छोटेलाल, पूजा ना०बा० छोटेलाल वली मॉ रामरित, बाजीलाल, मिश्रीलाल, टीकाराम, हिर व0 कन्हई, सोनी बेवा कन्हई, कला, मरनु छोटी पिता कन्हई का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।

26— इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी0 1 प्रपी0 3, प्र0पी0 4, प्र0पी0 5 संशोधन पंजी, प्र0पी0 13, प्र0पी0 14, प्र0पी0 15, प्र0पी0 16, प्र0पी0 17, प्र0पी0 19, प्र0पी0 20, प्र0पी0 21, प्र0पी0 22 के दस्तावेजों से यही स्पष्ट है कि वादीगण का नाम विवादित भूमि पर संयुक्त रूप से नाम दर्ज है। किन्तु प्र0डी0 1 रिजस्टर्ड वसीयत दिनांक 10 मार्च 1999 जो स्वय प्रतिवादी कं 1 के द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें छोटे वल्द कन्हई वसीयतकर्ता एवं वसीयतग्रहीता मिश्रीलाल है जिसमें विवादित भूमि ग्राम काठी, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि ख.नं. 264 रकबा 0.025 हे0 ख.नं. 291 रकबा 0.077 हे0 ख.नं. 473/1 रकबा 0.040 हे. ख.नं. 489 रकबा 0.066 हे0 ख.नं. 287 रकबा 0.0138 हे. भूमि का स्व0 छोटे वल्द कन्हई के द्वारा वसीयत दिनांक 10 मार्च 1999 को मिश्रीलाल के पक्ष में की गई है इस प्रकार उक्त दस्तवोज से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 छोटे वल्द कन्हई के स्वत्व व आधिपत्य की थी।

27— क्योंकि स्वयं प्रतिवादी साक्षी कमलेश (प्रति0वा0सा02) ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में स्वीकार किया है कि स्व0 छोटेलाल का मकान और आटा चक्की थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 19 में स्वीकार किया है कि उसके पिता और चाचा के जमीन का बटवांरा हुआ था। उसी प्रकार प्रतिवादी साक्षी नान्हू (प्रति0वा0सा03) ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 18 में स्वीकार किया है कि गांव में एक चक्की छोटेलाल की और मकान था। आगे यह भी स्वीकार किया है कि छोटेलाल जीवित था तब उसकी आटा चक्की को चलवाता था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि छोटेलाल के मरने के बाद उसकी आटा चक्की रामरित उसका देवर टीकाराम से चलवाती है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि छोटेलाल जब जीवित था तब उसके जमीन की काश्तकारी करवाता था। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी साक्षीयों के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि स्व0 छोटे वल्द कन्हई को जो भूमि बटवारे में प्राप्त हुई थी वह काबिज होकर काश्त करता था। और उसकी मृत्यु

के पश्चात् उसकी पत्नी रामरित काबिज होकर काश्त करवाती है।

28— इस प्रकार प्र0पी0 1, प्र0पी0 3, प्र0पी0 4, प्र0पी0 5 संशोधन पंजी, प्र0पी0 13, प्र0पी0 14, प्र0पी0 15, प्र0पी0 16, प्र0पी0 17, प्र0पी0 19, प्र0पी0 20, प्र0पी0 21, प्र0पी0 22 के दस्तावेजों एवं प्रतिवादी कृं. 1 के द्वारा प्रस्तुत रिजस्टर्ड वसीयत दिनांक 10 मार्च 1999 के दस्तावेज से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी कृं.1 एवं 2 से 4 के पिता की स्वत्व व आधिपत्य की है। और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा—8 के अनुसार वादी कृं. 1 एवं 2 से 4 विवादित भूमि को प्राप्त करेगें। इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि के स्वत्व व आधिपत्यधारी है।

29— प्रतिवादी साक्षी कमलेश (प्रति०वा०सा०२), प्रतिवादी साक्षी नान्हू (प्र०वा०सा०३) उक्त दोनों गवाहों ने उक्त विवादित भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है कि विवादित भूमि वादीगण की नहीं है। बल्कि प्रदर्श डी 1 जो कि रिजस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10 मार्च 1999 का प्रस्तुत किया है जिसमें वसीयतकर्ता छोटे वल्द कन्हई वसीयत ग्रहीता मिश्रीलाल है जिसमें विवादित भूमि खसरा नं. 264 में से 0.025 ख.नं. 291 में से 0.077, ख.नं. 473/1 में से 0.040 ख.नं. 489 में से 0.066, ख.नं. 487 में से 0.138 कुल रकबा 0.346 हेक्टे0 भूमि प्रतिवादी कं. 1 के पक्ष में निष्पादत की गई है। वादी कं 1 के पित एवं वादी कं 2 के पिता के पास उक्त विवादित भूमि थी, तब ही रिजस्टर्ड वसीयत दिनांक 10 मार्च 1999 निष्पादित हुई।

30— जहां तक दिनांक 30/12/95 को वसीयतकर्ता छोटे व0 कन्हई के द्वारा वसीयत ग्रहीता मिश्रीलाल के पक्ष में विवाहित भूमि की वसीयत की गई है या नहीं यह महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है।

31— प्रतिवादी साक्षी कमलेश (प्र0वा0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके दादा स्व0 छोटेलाल की बिमारी में उनका ईलाज देखभाल उनके पिता मिश्रीलाल के द्वारा की जाती थी। जिससे खुश होकर उसके दादा स्व0 छोटेलाल ने उनके हिस्से की ग्राम काठी की जमीन का वसीयतनामा और चक्की तथा मकान का वसीयतनामा उसके पिताजी के नाम से कर दिया था। उस वसीयतनामा को बाद में उसके पिताजी ने रिजस्ट्रार कार्यालय मुलताई जाकर उसका पंजीयन कराया था। यह सभी बातें उसके पिताजी ने उससे बताई थी इसलिए उसे मालूम है। पिताजी मिश्रीलाल के हस्ताक्षर पहचानता है। वसीयतनामा पंजीयन के समय रिजस्टार साहब ने उसके पिताजी के जो बयान लिए थे उस पर उनके हस्ताक्षर है। वसीयतनामा दिनांक 13/02/95 को उसके दादा स्व0 छोटेलाल ने बनाया था जिसका पंजीयन उसके पिताजी मिश्रीलाल ने दिनांक 10/03/1989 को उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में कराया था। वसीयतनामा पंजीयन के समय वसीयत के

गवाह छोटेलाल जी एवं एवं नानकराम जी भी पंजीयन के समय उसके पिताजी के साथ मुलताई गये थे वहां पर उन लोगों ने भी बयान दिये थे।

32— उक्त साक्षी बहुत ही महत्वपूर्ण साक्षी है। यह गवाह प्रतिवादी कुं 1 मिश्रीलाल का पुत्र है, जो कि मिश्रीलाल मृत हो चुका है और यह गवाह 26 वर्ष की उम्र का है जो कि पढ़ा लिखा है क्योंकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में व्यक्त किया है कि उसकी उम्र 26 वर्ष है और खेती किसानी करता है और उसने वर्ष 2012 से स्कुल छोड़ दिया है जब से वह खेती करता है। इस प्रकार यह गवाह एक शिक्षित गवाह है। इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता और विधि भी ऐसे साक्षी से यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों को महत्व न दिया जा सके। क्योंकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्वीकार किया है कि स्व0 छोटेलाल हस्ताक्षर करते थे। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 19 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि छोटेलाल डब्ल्यू०सी०एल० में नौकरी करते थे, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा रिजस्टर्ड वसीयत दिनांक 10 मार्च 1999 को वसीयतनामा पर हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठा लगाया।

33— जबिक प्र0डी० 1 का दस्तावेज रिजस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 10 मार्च 1999 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता निशानी अंगूठा छोटे बकलम लिखा हुआ है जबिक वसीयतकर्ता छोटे वल्द कन्हई स्वयं प्रतिवादी कमलेश (प्र0वा0सा02) के द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि स्व0 छोटेलाल पढ़े लिखे एवं हस्ताक्षर करते थे, तो उसके द्वारा अंगूठा निशानी वसीयत पर किन परिस्थितियों में किया गया, यह भी प्र0डी० 1 के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि वह बिमार था, वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। इस कारण उसने वसीयतनामा पर अंगूठा लगाया है यह भी स्पष्ट नहीं किया है।

34— जबिक प्रकरण में यह भी निर्वादित है कि कन्हाई की दुसरी पत्नी रामरित एवं उसकी पुत्री पुजा है और उसकी प्रथम पत्नी मुन्नीबाई एवं उसकी पुत्री रिना और रिता है। प्रतिवादी साक्षी कमलेश (प्र0वा0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में व्यक्त किया है कि उसकी बड़ी माँ का नाम मुन्नी है उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी दो पुत्री रिना और रिता है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि छोटेलाल ने दुसरी शादी कब की, उसे नहीं मालूम पर दुसरी पत्नी रामरिता है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि उसकी एक पुत्री है उसका नाम पुजा है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य से यह स्पष्ट है कि स्व0 छोटे व कन्हाई की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है, उन दोनों से उत्पन्न संतान रिना और रिता है जिसके बारे में प्रदर्श डी 1 के वसीयतनामें में दोनों पुत्रियों के बारे में उल्लेख किया

गया है।

35— किन्तु दुसरी पत्नी रामरित व उन दोनों से उत्पन्न संतान पूजा के बारे में कही भी किसी भी प्रकार से यह उल्लेख नहीं है कि उन्हें वसीयतकर्ता ने उन्हें सम्पित्त में हक क्यों नहीं दिया या किस कारण से नहीं दिया, क्योंिक वसीयतकर्ता उनकी संतान के बारे में उन्हें क्यों प्रदर्श डी 1 की जो सम्पित्त दी गई है, वह सम्पित्त वह उसकी द्वितीय पत्नी रामरित एवं उसकी पुत्री पूजा को सम्पित्त क्यों नहीं दी जा रही है, यह उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि प्रतिवादी कं 1 स्व0 मिश्रीलाल के द्वारा मात्र प्रदर्श डी 1 की जो विवारिदत भूमि है उस भूमि को हड़पने के उद्देश्य से उसके पुत्रों को ही प्राप्त हो, उसके द्वारा वसीयत लेखक खंडेलवाल के साथ मिलकर फर्जी वसीयत निष्पादित कराया गया हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

क्योंकि वसीयत लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल (प्र0वा0सा04) ने अपनी 36-साक्ष्य में बताया है कि 30/12/95 को वसीयतकर्ता छोटेलाल व0 कन्हई, जाति साहू, नि0 काठी तहसील मुलताई, जिला बैतूल उप पंजीयक कार्यालय मुलताई के पास जो वे लोग बैठते है, वहां पर वसीयत बनाने के लिए छोटेलाल व0 बिहारी मु0पो0 काठी एवं नानकराम व0 दयाराम पंवार, नि0 काठी को साथ लेकर आया था। उन दोनों गवाह और वसीयतकर्ता पूर्ण होश हवास में थे। छोटेलाल ने बताया कि वह सम्पत्ति की वसीयत करना चाहता है उसके हिस्से की जमीन जायदाद है. वह उसके भाई मिश्रीलाल के नाम वसीयत करना चाहता है। उसने उससे पूछताछ की थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने वसीयतकर्ता से पूछताछ की थी जैसा–जैसा उसने बताया था वैसा–वैसा उसने वसीयत में लिखा था। वसीयत लिखने के बाद पूरी पढ़कर छोटे व0 कन्हई को बताई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा कागजात बनने को बाद वसीयतकर्ता को बताया गवाहों को सुनाया गया पहले वसीयतकर्ता ने अंगूठा लगाया उसके बाद गवाहों ने दस्तखत किए थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने वसीयत ब कलम करके वसीयत किये। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि दस्तखत करने के बाद उसने कांट छांट की उस संबंध में टीप अंकित की थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वसीयत प्रदर्श डी 1 है जिसके सी से सी और डी से डी भाग पर और ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

37— आगे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि वसीयत करने के बाद वसीयतकर्ता दस्तावेज लेकर चले गये थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि मिश्रीलाल और गवाह कुछ समय बाद उसे समय याद नहीं लेकिन दो तीन साल बाद मिश्रीलाल और गवाह छोटेलाल और नानकराम मुलताई आए थे उन्होंने कहा कि रजिस्टी करवाना है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि

वसीयत की रजिस्टी करवाने को कहा था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह जो वसीयत उसके साथ लेकर आए थे उस वसीयत को रजिस्टी कराने के लिए मुलताई गये था उसके समक्ष उप पंजीयक ने प्र0डी० 1 की वसीयत रजिस्टी की थी उस समय गवाह छोटेलाल और नानकराम उपस्थित थे और वसीयतकर्ता मिश्रीलाल भी उपस्थित था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वहां रजिस्टार साहब ने उसके एवं गवाह नानकराम और छोटेलाल और मिश्रीलाल के बयान लिए थे। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि जब उसके बयान लिए थे बयान लेने के बाद रजिस्टार साहब ने उसके हस्ताक्षर करवाए थे जो प्र0डी0 2 के सी सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। संपूर्ण कार्यवाही उप पंजीयक कार्यालय में हुई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि जैसे बयान गवाहों ने बताया था वैसे ही बयान लिए गये थे और वैसे ही बयान पढकर बताया गया था फिर हस्ताक्षर किए थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि वह रजिस्टर साथ लेकर आया है जिसमें छोटेलाल का अंगुठा लगा है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसका रजिस्टर प्र0डी0 6 है जिसके ऐ से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है उसकी फोटोकापी प्र0डी0 6 है। दूसरी बार जब पंजीयन करवाने वसीयत ग्रहीता एवं गवाह उपस्थित थे जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही कथन उप पंजीयक ने लिखे थे।

जबिक इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में प्रश्न किया गया है कि कोई भी दस्तावेज लेखन के लिए आपके पास आता है तो उसके पहचान का दस्तावेज लिया जाता है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि पहले नहीं लगता था अब लगने लगा है। अर्थात् जिस समय इस गवाह के द्वारा वसीयत निष्पादित की गई है उस संबंध में पहचान के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में यह स्वीकार किया है कि छोटे व0 कन्हई को वह नहीं जानता। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि छोटे वल्द कन्हई कहां तक पढ़ा लिखा था, उसे नहीं मालूम। वह हस्ताक्षर करता है या अंगूठा लगाता था उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से एवं मुख्यपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस समय इस गवाह के समक्ष वसीयतकर्ता छोटे व0 कन्हई आया वह स्वस्थित व्यक्ति था। क्योंकि इस गवाह की मुख्यपरीक्षा के तथ्य ही स्व0 छोटे व0 कन्हई जो कि वसीयतकर्ता है जो कि उसके स्वस्थित होने को दर्शित करता है।

39— जबिक स्व0 मिश्रीलाल के द्वारा जवाबदावा एवं उसका पुत्र प्रतिवादी कमलेश (प्र0वा0सा02) की साक्ष्य के अनुसार साक्षी बीमार था और वह हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। इस तथ्य का उल्लेख प्र0डी० 1 के दस्तावेज में स्पष्ट नहीं किया गया है और उसके द्वारा किन परिस्थितियों में हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठाल

लगाया गया है यह भी प्र0डी01 के दस्तावेज में स्पष्ट नहीं किया गया है। जबिक इस गवाह को अंगूठा व हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताता है, ऐसी परिस्थिति में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब इस गवाह के समक्ष प्रथम बार वसीयत कराने स्व0 छोटे व0 कन्हई को नहीं लाया गया हो और अन्य किसी व्यक्ति को लाकर इस गवाह के समक्ष वसीयत निष्पादित कराया गया हो।

- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में व्यक्त किया है कि छोटे व 40-कन्हई के दो गवाह छोटेलाल और नानक लेकर आए थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि वह छोटे व0 कन्हई को नहीं पहचानता था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि छोटेलाल और नानक किस कार्य से मुलताई आए थं। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया कि छोटे व कन्हई कितने दिन से बीमार था उसे नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसके पास आया था तब बोलता चालता था चलता फिरता था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके पास जो व्यक्ति आया था यदि उसके स्थान पर यदि कोई दुसरा व्यक्ति रहा होगा तो वह नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि गवाहों के बताये अनुसार वह व्यक्ति छोटे है, बताया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरिक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि छोटे के स्थान पर गवाहों के साथ कोई व्यक्ति आया होगा तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार वसीयत लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल केद्वारा प्रतिपरीक्षा में लाए गए स्वीकृत तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि यदि गवाह के समक्ष छोटे व0 कन्हई के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को लाकर वसीयत निष्पादित कराई गई हो तो इस गवाह को कोई जानकारी नहीं है।
- 41— क्योंकि कोई भी वसीयतकर्ता संपूर्ण चल अचल सम्पत्ति देता है तो वह अपने वारसानों को क्यों नहीं दे रहा है, इस संबंध में कोई भी वसीयतकर्ता आवश्यक रूप से ही लिखता। किन्तु प्र०डी० 1 पर संपूर्ण वारसानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- 42— आगे प्रतिवादी साक्षी राजेन्द्र खंडेलवाल (प्र0वा0सा04) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में अस्वीकार किया है कि उसने उसके रिजस्टर्ड में दिनांक 30/12/95 और दिनांक 10/03/99 का उल्लेख किया है वह एक ही दिन में किया गया है। आगे इस गवाह यह अस्वीकार किया है कि रिजस्टर्ड पर जो अंगूठा निशानी लगा है वह फर्जी व्यक्ति का लगवाया है। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि रिजस्टर पर छोटे व कन्हई ने कोई अंगूठा नहीं लगाया था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने 10/03/99 को फर्जी वसीयतनामा लिखा है। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके रिजस्टर पर उसने साक्षियों के दस्तखत नहीं लिए। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा

कि रजिस्टर पर साक्षियों के दस्तखत नहीं लिये जाते है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में वादीगण की ओर से दिए गए सुझाव को अस्वीकार किया है। किन्तु इस बात से इंकारा नहीं किया जा सकता कि इस गवाह के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत पर फर्जी अंगूठा लगवाया गया हो और दिनांक 10/03/99 को फर्जी वसीयत लिखी गई हो।

43— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में स्वीकार किया है कि दस्तावेज उसने उसके रिजस्टर में लिखा है उसकी स्याही फिकी है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लिखे गये दस्तावेज उसके रिजस्टर में जो इन्ट्री है उसकी स्याही एक जैसी है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गाढ़ी स्याही है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि स्याही वाली लिखावट पूर्व की हो तो वह फिकी हो जाती है। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि बाद कि लिखावट गाढ़ी होती है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों से स्पष्ट है कि वसीयत जो लिखी गई है वह फिकी स्याही है और बाद में जो लिखी है वह स्याही गाढ़ी है। अर्थात् पश्चात्वर्ती कम पर वसीयत लिखी है जो कि प्र0डी0 1 की वसीयत पर संदेह उत्पन्न करता है।

44— साथ ही इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्व0 मिश्रीलाल के द्वारा वादीगण से सम्पत्ति हड़पने के उद्देश्य से वसीयतनामा दिनांक 30 / 12 / 95 को दिनांक 10 / 03 / 99 को जो रिजस्टर्ड कराया गया है वह फर्जी तरीके से निष्पादित कराया गया है।

45— वसीयत के स्वतंत्र वादी साक्षी नानकराम (वा०सा०२) ने बताया है कि करीब 12—13 साल पहले की बात है। मृत मिश्रीलाल ने रिजस्ट्री कराने हेतु उसे तथा छोटेलाल पंवार को लाया था मुलताई में मृत छोटे द्वारा वसीयतनामा होना बताया था उसे वसीयतनामें पर पहले से ही अंगूठा लगा हुआ था। वह अंगूठा उसके सामने या छोटेलाल पंवार के सामने मृत छोटे व० कन्हई ने नहीं किया था। मृत छोटे व० कन्हई हस्ताक्षर करता था। उस वसीयतनामा पर किसी भी गवाह के दस्तखत नहीं थे। उसकी एवं छोटेलाल पंवार की दस्तखत मुलताई में लिए थे। इस प्रकार मिश्रीलाल ने छोटे व० कन्हई का वसीयत में लिए थे। इस प्रकार मिश्रीलाल ने छोटे व० कन्हई का वसीयतनामा उसके मरने के बाद झूठा बनाया है। जबिक छोटे की पत्नी रामरित व तीन लड़िकयाँ जीवित है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

46— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 12 में व्यक्त किया है कि जब वे मुलताई गये थे तब वे रजिस्ट्रार आफीस में गये थे किसी भी वसीयतनामा के संदर्भ में बातचीत नहीं हुई थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि मिश्रीलाल

ने किसी वसीयतनामा के संदर्भ उसे कुछ नहीं बताया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में व्यक्त किया है कि रिजस्ट्रार आफीस में उन्होंने दो तीन कागज पर साईन किए और वहां से वापस आ गये। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि वसीयतनामा दिनांक 30/12/95 पंजीयन दिनांक 10 मार्च 1999 जो प्र0डी0 1 है दिखाया गया जिस पर उसने ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि छोटे व0 कन्हई द्वारा उसकी काठी स्थित भूमि में मकान चक्की के संबंध में दिनांक 30/12/95 को मूलताई में दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल के यहां आपके समक्ष वसीयतनामा लेखबद्ध किया था तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसके सामने नहीं लिखा था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में लाए गए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष वसीयतनामा निष्पादित नहीं की गई। और ना ही इस गवाह को वसीयत के संबंध में कोई जानकारी दी गई।

आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि छोटे व0 कन्हई द्वारा किया गया वसीयत दिनांक 30/12/95 पंजीयन मिश्रीलाल द्वारा आपके छोटेलाल व0 बिहारी नि0 काठी दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल की उपस्थित में उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में पंजीबद्ध किया गया है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसके सामने पंजीयन भी नहीं कराया है ना ही उसके सामने लिखा भी नहीं है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 14 में व्यक्त किया है कि उसे ख्याल नहीं है कि छोटे व0 कन्हई की मृत्यु 05/08/1998 को हुई है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि छोटे वं कन्हई की मृत्यु के बाद उक्त वसीयतनामा के पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में कराया गया। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में उप पंजीयक द्वारा दिनांक 10 मार्च 1999 को छोटे व0 कन्हई द्वारा मिश्रीलाल के पक्ष में किए गए वसीयतनामा दिनांक 30 / 12 / 95 के पंजीयन के समय आपके छोटे व0 बिहारी बोवाडे के राजेन्द्र खंडेलवाल के तथा मिश्रीलाल के शपथ पूर्वक कथन लेखबद्ध किए गए थे तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उसने साईन किए और वे वहां से आ गए है वहां और कौन था उसे मालूम नहीं। उसे रजिस्ट्रार साहब ने पढ़कर सुनाया भी नहीं था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि मिश्रीलाल और रजिस्ट्रार साहब वहां पर थे। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि प्र0डी0 1 की वसीयत के संबंध में यह नहीं बताया गया कि वह किस लिए वसीयत लिखी जा रही है और ना ही उसके सामने वसीयत लिखी गई। जबकि इस गवाह से मात्र हस्ताक्षर प्र0डी० 1 में हस्ताक्षर करा लिए।

48— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में व्यक्त किया है कि प्र0डी0 2 उप पंजीयक कार्यालय मुलताई की कार्यवाही पंजी कं. 85 दिनांक

10 / 03 / 99 की सत्यप्रतिलिपि जो प्र0डी0 2 है जिसके पृष्ट कं. 5 ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि दिनांक 10/03/99 को उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में प्र0डी० 1 की वसीयत दिनांक 30/12/95 को छोटे व0 कन्हई द्वारा मिश्रीलाल व0 कन्हई को किया गया के बाबत उप पंजीयक मुलताई के द्वारा उसका शपथ पूर्वक कथन लेखबद्ध किया है तो इस गवाह ने उत्तर दिया कि उसके सामने वसीयत नहीं लिखी उसने साईन किया और वे वहां से आ गये थे। शपथ पूर्वक कथन उसके सामने नहीं लिखे गये। आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में प्रश्न किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लिखे हये कागज पर उसके पढने के बाद भी हस्ताक्षर करता है और आप भी किसी कांगज को पढकर कहीं हस्ताक्षर करते है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि परंत् उस समय उन लोगों ने बिना पढ़े भोलेपन में साईन कर दी थी। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में व्यक्त किया है कि उसने पंजीयक कार्यालय मुलताई में कोई बयान नहीं दिया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में जो उसके बयान लिए है वह कैसे लिखे उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए प्रश्न उत्तर एवं प्रतिपरीक्षा में व्यक्त किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष रजिस्ट्रार कार्यालय में जो प्र0डी 1 एवं प्र0डी0 2 पर जो हस्ताक्षर कराए गए है वह भोलेपन पर हस्ताक्षर कराए गए है। किन्तु इस गवाह को वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में बयान भी नहीं लिये मात्र इस गवाह से बयान पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्र0डी० 1 के वसीयत के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

49— वसीयत के स्वतंत्र वादी साक्षी छोटेलाल (वा०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि 10—12 साल पहले की बात है कि मृत मिश्रीलाल ने रिजस्ट्री कराने हेतु उसे तथा नानकराम को लाया था। मुलताई में मृत छोटे व० कन्हई द्वारा वसीयत होना बताया था। उस वसीयतनामा पर पहले से अंगूठा लगा हुआ था अगूंठा उसके सामने या नानकराम के सामने मृतक छोटे व० कन्हई ने नहीं किया था। मृतक छोटे व० कन्हई हस्ताक्षर करता था। उक्त वसीयत पर किसी भी गवाह के दस्तखत नहीं थे। उसके एवं नानकराम पंवार के दस्तखत मुलताई में लिए थे। इस प्रकार मृतक मिश्रीलाल ने छोटे वल्द कन्हई का वसीयतनामा उसके मरने के बाद झूठा बनाया है जबिक छोटे की पत्नी रामरती एवं तीन लडिकयाँ जीवत है। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

50— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में व्यक्त किया है कि प्र0डी0 1 के पृष्ठ कं. 2 पर बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि प्र0डी0 1 के बी से बी भाग पर आपने जो उसके हस्ताक्षर होना बताया है वह हस्ताक्षर आपने कहां पर और कब किए थे बतला सकते हो, तो इस गवाह ने उत्तर दिया कि मिश्रीलाल ने ताप्ती घाट से बुलाकर ले गया था कि कागज पर हस्ताक्षर करना है तो वह गया रजिस्टार ऑफीस में एक कागज पर और रजिस्टार ऑफीस में एक रजिस्टर होता है उसमें हस्ताक्षर किए थे। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसने मिश्रीलाल को कहा उनको आपने पढ़ने बढ़ने के लिए उसकी नकल है क्या? तो उसने कहा कि जब काम हो जायेगा तो वह घर लाकर पढ़ा देगा उसके बाद कभी कागज लाकर बताया ना उसने पढ़ा। अर्थात रजिस्टार कार्यालय में ना इस गवाह को बयान के संबंध में कथन पढ़कर सुनाए और ना ही वसीयत के संबंध में पढ़कर सुनाया गया।

51— आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 16 में अस्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 का दस्तावेज वसीयत दिनांक 30/12/95 दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल मुलताई के पास बनाया गया था उस पर उसने उसके हस्ताक्षर किए थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि नानकराम ने प्र0डी0 1 के दस्तावेज पर उसके सामने हस्ताक्षर किए थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि प्र0डी0 1 का दस्तावेज दिनांक 30/12/95 को राजेन्द्र खंडेलवाल दस्तावेज लेखक द्वारा छोटे व0 कन्हई ने मिश्रीलाल के पक्ष में बनवाया और उस पर छोटेलाल ने अंगूठा लगाया, उसके बाद उसने एवं नानकराम ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष वसीयत लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल के द्वारा वसीयत नहीं बनाई गई और ना ही इस गवाह ने एवं नानकराम ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए और ना ही छोटेलाल ने इस गवाह के समक्ष अंगूठा लगाया।

52— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 17 में यह स्वीकार किया है कि वह दिनांक 10/03/1999 को रिजस्टार ऑफिस मुलताई को गया था। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0डीं 2 का दस्तावेज साक्षी को दिखलाया गया जिसके पृष्ट कं. 4 पर बी से बी भाग पर साक्षी ने उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि प्र0डीं 2 के पृष्ट कं 4 पर बी से बी भाग पर उसने रिजस्टार ऑफिस में हस्ताक्षर किये थे। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 10/03/1999 को रिजस्टार ऑफिस में उसके बयान लेखबद्ध किया है। इस प्रकार इस गवाह की प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि रिजस्टार कार्यालय में मात्र इस गवाह से हस्ताक्षर कराए किन्तु इस गवाह को वसीयत के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।

53— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 18 में यह अस्वीकार किया है कि रजिस्टार साहब के यहां उसके बयान में छोटे वल्द कन्हई साहू द्वारा वसीयतनामा किये जाने के संबंध में बयान दिये थे। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि रजिस्टार साहब के सामने जैसे उसने बयान दिये थे वैसे ही लिखे गये थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसने कोई बयान नहीं दिये थे। वह यह बात जानता है कि किसी बयान पर यदि हस्ताक्षर करते है तो उसको पढ़कर करते है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि वह गया उसने हस्ताक्षर किये वह ऑफिस गया कागज और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और वहां से वापस आ गया। अर्थात इस गवाह से वसीयत के संबंध में कोई बयान भी नही लिए गये मात्र इस गवाह से प्र0डी० 1 एवं प्र0डी० 2 पर हस्ताक्षर लिए गये।

आगे इस गवाह से प्रश्न किया गया है कि रजिस्टार कार्यालय में रजिस्टार साहब के सामने उसका वसीयतनामा सही होने के संबंध में उनके शपथ पर्वक बयान दिये थे और अभी आपने जो न्यायालय में जो शपथ पर कथन किये है उसमें वसीयतनामा नहीं होने के बात कर रहे है तो आपने कहा पर सही कथन किये और कहा आपने झूठ बोला तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि वह रजिस्टार ऑफिस गया तो वहां पर मिश्रीलाल ने बाबूजी के पास रजिस्टर और एक कागज को उसने नहीं पढा और बोले तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो तो उसने हस्ताक्षर कर दिया और वह वहां से वापस आया जो वहां बोला और यहां बोला वो सही बोला है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसे तहसील न्यायालय में हस्ताक्षर किया और वापिस आ गया उसे पढ़कर नहीं बताया। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के प्रश्न उत्तर से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह से प्र0डी0 1 एवं प्र0डी0 2 के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए और इसके बयान के संबंध में पढकर नहीं सुनाया गया। पहले से ही प्र0डी0 1 एवं प्र0डी0 2 के बयान लेखबद्ध किए गए थे। ऐसी परिस्थिति में प्र0डी० 1 एवं प्र0डी० 2 के दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है, जो कि प्र0डी० 1 का दस्तावेज एवं प्र0डी० 2 का दस्तावेज को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

55— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका कं. 19 में यह स्वीकार किया है कि जिस समय दस्तावेज के पंजीयन के लिए रजिस्टार ऑफिस गये थे उस समय रजिस्टार ऑफिस में मिश्रीलाल भी था और नानकराम भी था, दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल था या नहीं वह नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि वसीयतनामा दस्तावेज प्र0डी० 1 के पंजीयन के समय रजिस्टार कार्यालय में मिश्रीलाल उपस्थित था, वह उपस्थित था, नानकराम उपस्थित था और दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि प्र0डी० 1 का दस्तावेज इस गवाह के समक्ष निष्पादित नहीं किया है और प्र0डी० 1 और प्र0डी० 2 के लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल भी वहां पर उपस्थित नहीं था।

56— आगे इस गवाह प्रतिपरीक्षा की कंडिका 20 में यह अस्वीकार किया है

कि दिनांक 10/03/1999 को प्र0डी0 1 वसीयतनामा दिनांक 30/12/1995 के पंजीयन के समय रिजस्ट्रार साहब द्वारा उसके नानकराम के मिश्रीलाल के और दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खण्डेलवाल के बयान लेखबद्ध किये थे। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में रिजस्ट्रार साहब के सामने उनकी कार्यवाही पंजी में उसने नानकराम, मिश्रीलाल ने एवं दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खण्डेलवाल ने बयानों पर हस्ताक्षर किये थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा है कि उसके सामने नहीं किये थे। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि यदि उसके सामने के अलावा नानकराम, मिश्रीलाल एवं दस्तावेज लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल ने उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में किये गये उनके बयानों पर कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर किये हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए अस्वीकृत तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह के समक्ष वसीयत लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल एवं नानकराम के कथन नहीं लिए गए और ना ही इस गवाह के समक्ष वसीयत लेखक राजेन्द्र खंडेलवाल, नानकराम और मिश्रीलाल के कथन भी नहीं लिए गए।

57— वादी साक्षी रामरित (वा०सा०1) भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके पित छोटेलाल की मृत्यु दिनांक 05/08/1998 को हो चुकी है उसके देवर मिश्रीलाल द्वारा फर्जी वसीयतनामा उसके पित की मृत्यु उपरान्त दिनांक 10/03/1999 को तैयार कर राजस्व अधिकारियों से सॉठ—गॉठ कर वसीयतनामा की भूमि पर उसका नाम दर्ज करवा लिया तथा उसका नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को विक्रय करने की फिराक में है तथा जबरन कब्जा करने के प्रयास में है। जबिक उसके पित छोटेलाल द्वारा उसके भाई मिश्रीलाल के पक्ष में कभी कोई वसीयतनामा नहीं लिखा है, उसके पित हस्ताक्षर करते थे जबिक वसीयतनामा पर अंगूठा निशानी किया गया है। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

58— आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 22 में प्रश्न किया है कि आपने अपने शपथ पत्र में मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मिश्रीलाल द्वारा फर्जी वसीयतनामा के आधार पर राजस्व अधिकारियों से सांठ—गांठ कर अपना नाम दर्ज करा लिया है यह बात आप किस आधार पर कह रही है? तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि वह इस आधार पर कह रही है कि उसके पति छोटेलाल साईन करते थे और यहां पर अंगूठा लगा हुआ है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 23 में यह अस्वीकार किया है कि मिश्रीलाल को की गई वसीयत में उसके पति छोटेलाल ने अंगूठा निशानी वसीयत पर लगाया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके पति छोटेलाल हस्ताक्षर करते है इससे संबंधित इसके बाबत् कोई भी दस्तावेज जिसमें छोटेलाल के दस्तखत को उसने न्यायायल में अभिलेख पर

पेश नहीं किया है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि उसके पास उसके पित के हस्ताक्षर करने का कोई सबूत नहीं था कोई सबूत छोड़ा ही नहीं था इसलिए उसने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में किए गए प्रश्न उत्तर से यही स्पष्ट होता है कि इस गवाह का पति स्व0 छोटे वल्द कन्हई हस्ताक्षर करते थे। जहां तक सबत का भार वसीयत को साबित करने का दायित्व प्रतिवादी कं 1 एवं उनके वारसानों पर और प्रतिवादी कं 1 कमलेश (प्र0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 25 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि स्व0 छोटेलाल पढ़े लिखे थे और हस्ताक्षर करते थे जबकि इस गवाह की उम्र 26 वर्ष है और पढा लिखा है। इस गवाह के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए गए तथ्यों को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है। जहां तक वादी के द्वारा हस्ताक्षर से संबंधित दस्तावेज पेश करने का प्रश्न है तो वह प्रतिवादी भी प्रस्तुत कर सकता था क्योंकि वसीयत को साबित करने का भार उस पर भी है। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि वसीयतकर्ता स्व0 छोटे वल्द कन्हई हस्ताक्षर नहीं करता था, बल्कि अंगूठा लगता था। साथ ही सत्य की खोज हेतू प्रतिवादीगण भी जो कि स्व0 छोटेलाल परिवार का सदस्य रह चुका है और उन्हें भी अंगूठा निशानी स्व० छोटे वल्द कन्हई का है वह हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराकर यह प्रमाणित करा सकते थे कि स्व0 छोटे वल्द कन्हई हस्ताक्षर नहीं करता था, बल्कि अंगूठा लगाता था। किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा नहीं किया गया है। जिससे यही स्पष्ट होता है कि स्व0 छोटे वल्द कन्हई हस्ताक्षर करता था।

60— वादी साक्षी श्रीमित रीता (वा०सा०३) ने भी अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके चाचा स्वर्गीय मिश्रीलाल द्वारा फर्जी वसीयतनामा उसके पिता की मृत्यु उपरान्त दिनांक 10/03/1999 को तैयार कर फर्जी तरीके से सांठ—गांठ कर फर्जी वसीयतनामा के आधार पर उसका उसकी भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा अपना नाम दर्ज का फायदा उठाकर उक्त भूमि को विक्रय करने के प्रयास में है, तथा जबरन कब्जा करने के प्रयास है जबिक उसके पिता ने उसके चाचा स्वर्गीय मिश्रीलाल के पक्ष में कभी कोई वसीयतनामा नहीं लिखा, उसके पिता हस्ताक्षर करते थे जबिक वसीयतनामा पर अंगूठा निशानी किया गया है। उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में खंडन किया गया है।

61— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 13 में यह अस्वीकार किया है कि उसके पिता छोटे वल्द कन्हई ने उनकों ग्राम काठी में मिली उनक हिस्सों का वसीयतनामा मुलताई जाकर दिनांक 30/12/1995 को लिखवाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 30/12/1995 उसके पिता छोटे ने गवाह छोटेलाल बुवाड़े और नानकराम पंवार के सामने उनकी

गवाही में लिखवाया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 30 / 12 / 1995 का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय मुलताई में वसीयत के साक्षी छोटेलाल बुवाडे एवं नानकराम पंवार के साथ जाकर उक्त वसीयतनामा का पंजीयन करवाया था। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि उसके पापा ने ऐसा नहीं किया था। आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 15 में प्रश्न किया गया है कि कोई पिता उसकी सम्पत्ति के संदर्भ में कोई दस्तावेज बनाने के बाबत 10 वर्ष के उम्र के बच्चे से सामान्यतः कोई बात नहीं करता है और उस बाबत उससे कोई चर्चा नहीं करता है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि उक्त बातें गलत है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि पूछताछ करते है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आएँ तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि स्व0 छोटे वल्द कन्हई हस्ताक्षर करता था और उसके द्वारा कोई वसीयत मृत प्रतिवादी कं. 1 मिश्रीलाल के पक्ष में निष्पादित नहीं की गई। यदि वास्तविक रूप से निष्पादित की जाती तो वसीयतकर्ता छोटे वल्द कन्हई अपने संतान से वसीयत के संबंध में अवश्य ही चर्चा करता। किन्तु इस गवाह के समक्ष ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे यही माना जायेगा कि स्व० मिश्रीलाल के द्वारा फर्जी वसीयत निष्पादित कराकर रजिस्टर्ड कराई गई है।

62— आगे इस गवाह से प्रतिपरीक्षा की कंडिका 24 में प्रश्न किया गया है कि आपने अपने शपथ पत्र में मिश्रीलाल द्वारा फर्जी तरीके से सांठ—गांठ करके फर्जी वसीयतनामा बनाया जाना लेख किया है मिश्रीलाल ने किससे सांठ—गांठ करके फर्जी तरीके से वसीयतनामा बनाया है तो इस गवाह ने उत्तर दिया है कि मिश्रीलाल ने अकेले ने फर्जी वसीयत बनाया है। इस प्रकार उक्त प्रश्न उत्तरों से यह स्पष्ट है कि स्व0 मिश्रीलाल के द्वारा प्र0डी० 1 का दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किया गया है।

63— इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0पी0 1, प्र0पी0 2, प्र0पी0 3, प्र0पी0 4, प्र0पी0 13, प्र0पी0 14, प्र0पी0 15, प्र0पी0 15 एवं प्र0डी0 1 के दस्तावेजों से यही स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 264/2 रकबा 0.025, खसरा 473/2 करबा 0.040 ख नं. 487/2 रकबा 0.138, ख नं. 489/2 रकबा 0.066हे0 भूमि वादी कं. 1 के पित एवं वादी कं 2 से 4 के पिता स्व0 छोटे वल्द कन्हई के स्वत्व व आधिपत्य की है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—8 के अनुसार स्व0 छोटे वल्द कन्हई के मृत्यु के पश्चात् उनके वारसान वादी कं. 1 एवं 2 से 3 स्वत्व व आधिपत्यधारी हये।

64— क्योंकि स्वयं प्रतिवादी साक्षी नान्हू (प्र0सा03) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि छोटेलाल की दुसरी पत्नी आते जाती रहती थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि छोटेलाल जब जिवित था तब खेती किसानी करता था। छोटेलाल की लड़की कभी दमुआ और कभी काठी में रहती थी। आगे यह स्वीकार किया है कि छोटेलाल और मॉ के पास लड़कियाँ कभी आते जाते रहती थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्यों के आधार पर यही माना जायेगा कि जब तक छोटे वल्द कन्हई जिवित था, तब तक वह कृषि करवाता था उसके पश्चात् विवादित भूमि पर उनके वारसानों का ही स्वत्व व आधिपत्य माना जावेगा।

65— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 264 रकबा 0.025 हे0, ख.नं. 291 रकबा 0.077 हे0, ख.नं. 473/1 रकबा 0.040 हे0 ख0नं. 489 रकबा 0.066 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.0138 हे0 विवादित भूमि के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 30/12/1995 शून्य होकर वादीगण के पक्ष में बंधनकारी नहीं है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 व 2 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण

66— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि खसरा नं. 264 रकबा 0.025 हे0, ख.नं. 291 रकबा 0.077 हे0, ख.नं. 473/1 रकबा 0.040 हे0 ख0नं. 489 रकबा 0.066 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.0138 हे0 विवादित भूमि के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है और विचारणीय प्रश्न कं 2 से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिवादीगण द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 30/12/1995 शून्य होकर वादीगण के पक्ष में बंधनकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि पर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वयं किसी के माध्यम से वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप न करें। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

- 67— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः निम्न लिखित आशय की आज्ञप्ति व डिकी पारित की जाती है।
 - 1— यह घोषित किया जाता है कि वादीगण विवादित भूमि खसरा नं. 264 रकबा 0.025 हे0, ख.नं. 291 रकबा 0.077 हे0, ख.नं. 473/1 रकबा 0.040 हे0 ख0नं. 489 रकबा 0.066 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.0138 हे0 विवादित भूमि के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है।

- 2— प्रतिवादीगण द्वारा किया गया वसीयतनामा दिनांक 30 / 12 / 1995 शून्य होकर वादीगण के पक्ष में बंधनकारी नहीं है।
- 3— वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि पर इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण स्वयं तथा किसी अन्य के माध्यम से वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि पर हस्तक्षेप न करें।
- 4— प्रतिवादीगण वादीगण का भी वाद व्यय वहन करेगें।
- 5— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियामानुसार देय हो। उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म0प्र0